न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./62/2023/बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. पीराराम पुत्र पेमाराम का.मु. 1/1वागाराम पुत्र पीराराम 1/2नेनाराम पुत्र पीराराम 1/3चैनाराम पुत्र पीराराम 1/4माडूदेवी पत्नी पीराराम 2. प्रहलादराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी खंरटिया तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. गोकलराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिणधरी

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2017 बउनवान गोकलराम बनाम पीराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2021 व 16.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री दामोदरकुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनराम चौधरी उतरदाता संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—03.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा खरंटिया में खेत खसरा संख्या 223, 229, 230, 231, 242, 365/273 का कुल रकबा 244.04 बीघा (39.5115 हैक्टयर) एवं मौजा खंरटिया में खेत खसरा संख्या 112 रकबा 14.18 बीघा (2.4108 हैक्टयर) भूमि में उत्तरदाता संख्या 01 का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1/3 हिस्सा घोषित कर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा कर पृथक करने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.05.2022 को अंतिम डिक्री जारी करते वक्त उतरदाता संख्या 01 पीराराम के फौत होने का आवेदन रेकर्ड पर लिया गया एवं उतरदाता संख्या 01 पीराराम के वारिसान 1/1 से 1/4 को कोई सूचना नहीं दी गई व पीराराम के वारिसान को कोई सूचना नहीं दी गई व न ही उसको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना न कर मृत व्यक्ति पीराराम के विरूद्ध जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अपीलाधीन आराजी सम्पूर्ण रकबे पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटस के कब्जा सुदा भूमि पर से बेदखल करने पर उतारू हुआ व न्यायालय से खेत की डिक्री होने की धमकी दी तथा कहा कि अपना कब्जा खाली कर देना अन्यथा अंजाम बुरे होगे इस प्रकार की धमकी देकर उतरदाता संख्या 01 वापिस चला गया। तब अपीलांटगण ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का पता कर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त निर्णय व डिक्री की नकलें दिनांक 23.05.2023 को प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटस को हुई। अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर कोई विलंब नहीं किया गया। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में केम्प कोर्ट में पारित की गई। जबकि केम्प कोर्ट में केवल राजीनामा के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त प्रतिवादी पीराराम के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेकर उसी दिन कायम मुकाम के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु तथा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर पक्षकारान की ढाणियां, चारवाड़े तथा कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पत्रावली में पेशी दिनांक 19.05.2022 नियत थी लेकिन हमें सूचित किये बिना ही पत्रावली दिनांक 16.05.2022 को पेशी पर ले कर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2017 बउनवान गोकलराम बनाम पीराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2022 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 18 से 21 के प्रावधान एवं राजस्व मंडल द्वारा बंटवारे के प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मकान/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे। हस्तगत प्रकरण/वाद पुराना होने से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए मूल वाद की पत्रावली प्राप्त होने की दिनांक से प्रकरण का अधिकतम चार माह में निस्तारण करे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर